न्यायलय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :– 94 / 2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. कमला पत्नी मुन्नालाल 2. शियाम लाल पुत्र मुन्नालाल जातिगण घांची निवासीगण सोजत सिटी हाल निवास 37 राम नगर पहली गली पाली तह0 व जिला पाली राज0		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्रीमती नीलम सोनी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक : – 27/05/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में प्रार्थी सं0 01 के पति एवं प्रार्थी संख्या 2 पिता की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, सरहद सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 3135 रकबा 0.6000 हैक्टर कृषि भूमि आई स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम मीनिया पुत्र लिमा हिस्सा 1/27 जाति घांची सा0 देह खातेदार के रूप में दर्ज सुदा है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के वर्तमान खसरा संख्या 3381, 3382, 3417, 3468, 3512, 3520 से 3523, 3532, 3533, कुल खसरा 11 कुल रकबा 0.9600 हैक्टर में प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम मीनाराम पुत्र लिमाराम 1/90 हिस्से के रूप में दर्ज सुदा है। सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 3125, 3132, 3134, 3373, 3378, 3385, 3387, 3389, 3393, 3395, 3399, 3400, 3404, से 3406, 3457, 3459, 3465, 3472, 3473, 3493, 3497, 3500, 3501, 3509, 3516, 3546, 3547 व 3299 से 3302, 3309, 3310, 3314, 3315, 3325, 3361, 3363, 3364, 3368, 3371 कुल खसरा 42 कुल रकबा 11.5300 हैक्टर में प्रार्थीगण के पति / पिता का नाम मीनाराम पुत्र लिमाराम के 1/27 हिस्सा दर्ज सुदा है। सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 3136, 3321, 3300, 3333, 3337, 3341, 3342/6, 3344, 3348, 3352/3 कुल खसरा 10 कुल रकबा 5. 5200 हैक्टर में प्रार्थीगण के पति / पिता का नाम मीनिया पुत्र लिमा हिस्सा 1/27 के अनुसार दर्ज सुदा है। उपरोक्त वर्णित सभी आराजीयात में प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम मीनिया पुत्र लिमा व मीनाराम पुत्र लिमाराम के नाम से दर्ज सुदा है। रियासत काल में व्यक्ति को जिस नाम से पुकारा जाता था, उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज कर दिया जाता था। प्रार्थीगण के पति / पिता सरकारी दस्तावेजो में मुन्नालाल पुत्र लीमाराम के नाम से है, लेकिन पूर्व में बोलचाल की भाषा मे मीनिया व मीनाराम के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता रहा है। जिससे उस समय राजस्व

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

रेकर्ड मे मीनिया व मीनाराम के नाम से दर्ज कर दिया गया जो गलत दर्ज हुआ है। जिसे पुनः रेकर्ड दुरस्त करवाया जाना कानून्न आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थीगण के पति/पिता मीनिया व मीनाराम उर्फ मुन्ना लाल के नाम से जाना एवं पहचाना जाता रहा है। प्रार्थीगण के पति / पिता मुन्ना लाल का स्वर्गवास दिनांक 22/02/2021 को हो चुका है। प्रार्थीगण के पति/पिता के स्वर्गवास के बाद उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण अपने नाम से नामान्तरण दर्ज करवाने हेतू राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि "प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम मीनिया व मीनाराम के नाम से दर्ज सुदा है"। जबकि प्रार्थीगण के पति/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र मुन्ना लाल पुत्र लीमाराम के नाम जारी सुदा है तथा अन्य दस्तावेजात में भी मुन्ना लाल पुत्र लीमाराम के नाम से दर्ज सुदा है, जो सही दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पति / पिता का नाम मीनिया एवं मीनाराम होने से काफी कठिनाईया उत्पन्न हो रही है एवं प्रार्थी अपने जायज हक व अधिकारो से महरूम हो रहा है। तथा सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओ से भी वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पति / पिता का नाम मीनिया पुत्र लिमा एवं मीनाराम पुत्र लिमाराम के स्थान पर मुन्ना लाल पुत्र लीमाराम दर्ज किया जाना कानून्न आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरस्ती का पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रा0पत्र पेश कर उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का दर्ज नाम मीनिया पुत्र लिमा व मीनाराम पुत्र लिमाराम के स्थान पर सम्मान जनक नाम मुन्ना लाल पुत्र लीमाराम के नाम से दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित समस्त कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में स्थित है। पैरा संख्या 06 से 07 के कम प्रार्थी स्वयं सिद्ध करना तथा पैरा सं0 02 से 05 तथा पैरा सं0 08 से 10 को कानूनी बताया हैं।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज मीनिया पुत्र लिमा व मीनाराम पुत्र लिमाराम के स्थान पर मुन्ना लाल पुत्र लीमाराम शुद्धि किए जाने की ईस्तदुआ की है। जबाब बहस मे प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नहीं होना जाहिर किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र तथा फहरिस्त मय दस्तावेजात का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः वादग्रस्थ भूमि के संबंध में प्रस्तुत पटवारी हल्का की मौका फर्द के अनुसार मुन्नालाल के देहान्त से पूर्व उक्त भूमि पर स्वयं/वारीश का हक व हिस्सानुसार कब्जा काश्त था, जो अब उसके वारीशों का कब्जा काश्त बरकरार हैं। पूर्व में खातेदार के अशुद्ध/ओछो नाम दर्ज थे, जिसमें "मुन्नालाल" का भी "मीनिया पुत्र लीमा" दर्ज हो गया। संयुक्त खातेदारी में दर्ज खातेदारों ने भी बताया कि उक्त तथ्य सही व सत्य हैं कि खातेदारी में दर्ज मीनिया पुत्र लीमा तथा मीनाराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

लीमाराम का सही नाम मुन्नालाल व लीमाराम था तथा उक्त भूमि पर इनका ही हिस्सानुसार कब्जा काश्त हैं। जमाबंदी खाता सं0 635 तथा 1536 पर न्यायालय स्थगन का पेन्सिल नोट दर्ज हैं। जिस बाबत् पत्रावली में प्रस्तुत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सोजत के प्रकरण सं0 01/2022 अनवान बुदकी देवी वगैरा बनाम कमलादेवी वगैरा पारित निर्णय दिनांक 08.02.2024 में पक्षकारान को उनके हक हिस्से की हद तक पाबंद किया गया है, जबकि प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में न तो पक्षकार है और न ही उक्त स्थगन से प्रभावित हैं। संलग्न प्रस्तुत पटवारी हल्का रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण के पति/पिता का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम मीनिया, मीनाराम न होकर मुन्नालाल होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज मीनिया पुत्र लिमा व मीनाराम पुत्र लिमाराम के स्थान पर सम्मान जनक तथा वास्तविक दस्तावेजी नाम मुन्नालाल पुत्र लीमाराम दुरूस्त दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में वर्तमान खाता सं0 634, 1189, 1536, 635 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम मीनिया पुत्र लिमा व मीनाराम पुत्र लिमाराम के स्थान पर सम्मान जनक तथा वास्तविक दस्तावेजी नाम मुन्नालाल पुत्र लीमाराम राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किए जाने के आदेश तहसीलदार, सोजत को दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 27/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत